UPJS010052852022

न्यायालय अपर जिला जज, न्यायालय सं०- १, झाँसी।

उपस्थितः- जयतेन्द्र कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J. O. Code- UP 5983

CNR NO- UPJS01005285-2022

सिविल पुनरीक्षण सं०- 45/2022

१- रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कार्यालय ग्वालियर रोड, झाँसी पूर्व नाम सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक वर्तमान नाम प्रथमा सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय जाग्रति बिहार मेरठ जिसका अन्य रीजनल ऑफिस में से एक क्षेत्रीय कार्यालय ऑफिस स्थित ८०३/बी-१ ग्वालियर रोड, झाँसी।

२- अध्यक्ष, रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय ८०३/बी-१ ग्वालियर रोड, झाँसी पूर्व नाम सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक वर्तमान नाम प्रथमा सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय जाग्रति बिहार मेरठ जिसका अन्य रीजनल ऑफिस में से एक क्षेत्रीय कार्यालय ऑफिस स्थित ८०३/बी-१ ग्वालियर रोड, झाँसी।

३- रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा मडावरा डाकखाना मडावरा तहसील मडावरा जिला ललितपुर पूर्व नाम सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक वर्तमान नाम प्रथमा सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक, शाखा मडावरा डाकखाना मडावरा तहसील मडावरा जिला ललितपुर।

-----**पुनरीक्षणकर्तागण/प्रतिवादीगण।**

बनाम

शंकरलाल अग्रवाल पुत्र श्री मैथिलीशरण निवासी- ३७६/२१ चन्द्र बिहार कॉलोनी बुन्देलखण्ड डिग्री कॉलेज के पास सिविल लाइन, झाँसी। -------**प्रत्यर्थी/वादी।**

निर्णय

१- प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण न्यायालय अपर सिविल जज जू०डि० कक्ष सं०- २, झाँसी द्वारा मुकदमा नम्बर- १५१/२००२ शंकर लाल बनाम रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मामले में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित **३१-०८-२०२२** से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्तागण/प्रतिवादीगण रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि द्वारा जनपद न्यायाधीश, झाँसी के न्यायालय में दिनांक २२-०९-२०२२ को संस्थित किया गया है।

२- प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में दिनांक १०-१०-२०२२ को अंगीकृत पंजीकृत होकर जनपद न्यायाधीश न्यायालय से विधि अनुसार निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय में दिनांक १८-११-२०२२ को प्राप्त हुआ है।

३- पुनरीक्षण से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्तागण/प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रत्यर्थी/वादी शंकरलाल अग्रवाल ने मूलवाद सं०- १५१/२०० शंकर लाल बनाम रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि के विरूद्व न्यायालय द्वारा वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण द्वारा पारित निलम्बन आदेश दिनांक ०३-११-१९९७ व बैंक सेवा से बर्खास्तगी आदेश दिनांक २५-०२-२००२ को पूर्णतः अवैध, निष्प्रभावी व शून्य बजरिये डिक्री घोषणात्मक घोषित करने तथा वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी आदेशात्मक व्यादेश की डिक्री पारित करते हुये प्रतिवादीगण को आदेशित किया जावे कि प्रतिवादीगण, वादी को उसके पूर्व पद पर समस्त वेतन-भत्ते व अन्य हितलाभों सहित पुनःस्थापित करते हुये उसकी

Digitally signed by JAITENDRA KUMAR
Date: 2023.04.10 16:20:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सेवा की समाप्ति की तिथि से वादी को सम्पूर्ण वेतन, भत्ते व अन्य लाभों का भुगतान करें व भविष्य में करते रहने के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है।

४- पुनरीक्षणकर्तागण/ प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं०- ३३सी२ लगायत ३३सी२/ २ अन्तर्गत धारा- १५१ सिविल प्रक्रिया संहिता इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि वादी ने यह मुकदमा वर्ष २००२ में प्रस्तुत किया था तब वादी की आयु ४६ वर्ष दर्शायी गयी। मुकदमा दायर होने के बाद वादी द्वारा विगत २० वर्षों में प्रभावी पैरवी नहीं की गयी तथा वादी की उपस्थिति में दिनांक ३१- १०- २०१५ में खारिज हो गया जिसका रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र मय देरी माफी प्रार्थनापत्र के प्रस्तुत किया गया और न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया और वादी का दावा रेस्टोर किया गया। वादी की ओर से न्यायालय में दिनांक २५ अप्रैल २०२२ को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की जिसकी कापी प्रतिवादी को दिनांक १९- ०५- २०२२ को दी गई। वादी द्वारा जिस समय वाद प्रस्तुत किया गया उस समय वादी द्वारा मांगी गयी रिलीफ प्रभावी थी परन्तु दौरान मुकदमा वादी के द्वारा माँगी गई दादरसी निष्प्रभावी हो गयी। वादी की आयु ६६ वर्ष से अधिक है। वादी ने कोई संशोधन वादपत्र में नहीं कराया है। गवाहान लिस्ट में तीसरे गवाह के रूप में किसी भी गवाहान का नाम न लिखकर अन्य सम्बन्धित गवाहान लिखा है। वादी को पता नहीं है कि उसे किस गवाह को पेश करना है। वादी व प्रतिवादी के अभिवचनों द्वारा वाद- बिन्दु सं०- १ व वाद- बिन्दु सं०- २ निम्न आशय का बनाया-

१- क्या प्रतिवादीगण द्वारा पारित निलम्बन आदेश दिनांक ०३- ११- १९९७ व वर्खास्तगी आदेश दिनांक २५- ०२- २००२ पूर्णतया अवैध व निष्प्रभावी व शून्य है।

२- क्या वादी अपने वेतन, भत्ता व अन्य हित लाभ सहित पुनः स्थापित करते हुये वेतन, भत्ते व अन्य लाभ को पाने का अधिकारी है।

वादी द्वारा यह याचना की गयी कि प्रतिवादीगण को आदेशात्मक व्यादेश की डिक्री इस आशय की पारित की जाये कि प्रतिवादीगण व वादी को उसके पूर्व पद पर उसके समस्त वेतन सहित स्थायी करें। वादी का वाद बाबत पाने वेतन व अन्य हित लाभ सहित पुनः स्थापित करने के बाबत है और जिसके बाबत वादी के वाद का कारण उम्र वादी अधिक होने के कारण निष्प्रभावी हो गया है। वादी न्यायालय से कोई रिलीफ पाने का अधिकारी नहीं है ना ही कानूनन वादी के पक्ष में कोई रिलीफ ग्रान्ट की जा सकती है इसलिए वादी का वाद निष्प्रभावी होने के कारण खारिज किये जाने की जाये। बैंक में कर्मचारी के रिटायर होने की उम्र ६० वर्ष की होती है। वादी के वाद कारण खत्म हो गया है। अतः उपरोक्त मुकदमा पुनरीक्षणकर्तागण/ प्रतिवादीगण ने वादी का वाद निष्प्रभावी होने के कारण खारिज किये जाने की याचना की गई है।

५- प्रत्यर्थी/ वादी की ओर से पुनरीक्षणकर्तागण/ प्रतिवादीगण के उपरोक्त प्रार्थनापत्र के खण्डन में कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अपितु प्रार्थनापत्र में ही उल्लेख किया गया है कि श्रीमान जी प्रतिवादी द्वारा केवल देरी करने के उददेश्य से प्रार्थनापत्र दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। किसी न किसी बहाने से तारीख बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सख्त आपत्ति है। अवमानना की कार्यवाही एवं अधिकतम बीस हजार रूपया जुर्माना लगाये जाने की याचना करते हुये पुनरीक्षण खारिज किये जाने की भी याचना की गई है।

६- पुनरीक्षणकर्ता/ प्रतिवादीगण के उपरोक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- १५१ सिविल प्रक्रिया संहिता एवं आपत्ति में विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर

पुनरीक्षणकर्तागण/ प्रतिवादीगण का उपरोक्त प्रार्थनापत्र कागज संख्या- ३३सी२ निस्तारित करते हुये पत्रावली वास्ते जिरह पी०डब्लू०- १ में नियत की गई है। उपरोक्त आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्तागण/ प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत पुनरीक्षण संस्थित किया गया है।

७- पुनरीक्षणकर्तागण/ प्रतिवादीगण ने पुनरीक्षण में यह आधार लिये हैं कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है एवं इस बात पर गौर नहीं किया कि पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा जो प्रार्थनापत्र न्यायालय में पेपर संख्या- ३३सी२ विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न नहीं था फिर भी न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण का प्रार्थनापत्र सरसरी में निस्तारित कर दिया जो कि गलत है एवं इस बात पर गौर नहीं किया कि वादी की उम्र इस समय ६६ वर्ष से अधिक हो गयी है वादी ने वादपत्र में कोई संशोधन नहीं कराया है फिर भी प्रार्थनापत्र मात्र विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न कहते हुये निस्तारित कर दिया, जो कि विधि विरूद्व है एवं आदेश पारित करते समय इस बता पर अपना कोई मत नहीं दिया कि वादी को वाद कारण खत्म होने पर दावा निरस्त होने योग्य है तथा यह मत कि वाद मिक्स्ड क्विंशन ऑफ फैक्ट लॉ गलत है एवं प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक्पीडाइज डिसपॉजल के आदेश पारित किये हैं एवं पुनरीक्षणकर्तागण के प्रार्थनापत्र पर गौर न करके कानूनी भूल की है। पुनरीक्षणकर्तागण/ प्रतिवादीगण ने पुनरीक्षण स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय अपर सिविल जज जू०डि० कक्ष सं०- २, झाँसी द्वारा मूलवाद मुकदमा नम्बर- १५१/ २००२ शंकर लाल बनाम रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मामले में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित ३१- ०८- २०१९ निरस्त कर पुनरीक्षणकर्तागण/ प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र पेपर संख्या- ३३सी२ स्वीकार किये जाने की याचना की है।

८- पुनरीक्षणकर्तागण/ प्रतिवादीगण द्वारा पुनरीक्षण के समर्थन में शपथपत्र कागज संख्या- ४सी२ लगायत ४सी२/ २ एवं सूची- ९सी१ से आक्षेपित आदेश दिनांक ३१- ०८- २०२२ कागज सं०- १०सी१ लगायत १०सी१/ ३ की सत्यप्रति एवं वादपत्र मूलवाद संख्या- १५१/ २००२ कागज संख्या- ११सी१/ १ लगायत ११सी१/ ९, जवाबदावा कागज संख्या- १२सी१/ १ लगायत १२सी१/ ७ की फोटोप्रतियाँ, प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- १५१ जा०दी० दिनांक १६- ०८- २०२२ की नकल कागज संख्या- १३सी१/ १ लगायत १३सी१/ २ प्रस्तुत की गयी हैं।

९- प्रत्यर्थी/ वादी की ओर से पुनरीक्षण के आधारों के खण्डन में यह तर्क रखा गया है कि अभिवचनों में संशोधन कराने का अधिकार पक्षकारों को होता है। प्रश्नगत मामले में मुकदमा जिरह पी०डब्लू०- १ के स्तर पर लम्बित है। मुकदमा वर्ष २००२ का है। पुनरीक्षणकर्तागण मुकदमें को विलम्ब करने के आशय से प्रार्थनापत्र दिया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रत्यर्थी/ वादी को समुचित अनुतोष निर्णय/ डिक्री पारित करते समय विनिश्चित करेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक १४- ०३- २०१८ द्वारा यथाशीघ्र बिना स्थगन स्वीकार किये निर्णीत किये जाने की निर्देशित किया गया है। पुनरीक्षण बलहीन है। फलस्वरूप खारिज किया जाये।

१०- पुनरीक्षणकर्तागण/ प्रतिवादीगण एवं प्रत्यर्थी/ वादी के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत तर्को को सुना तथा पुनरीक्षण के आलोक में एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों तथा आक्षेपित आदेश का भली भांति अवलोकन किया।

११- **पुनरीक्षण के लिए आवश्यक शर्ते-** एक उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की अधिकारिता का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है-

(१) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले का विनिश्चय,

(२) मामले का विनिश्चय करने वाला न्यायालय, उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय होना आवश्यक है,

(३) विनिश्चय या आदेश ऐसा होना चाहिए जिसके विरूद्व अपील नहीं होती, और

(४) अधीनस्थ न्यायालय ने,

(क) एक ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है,और

(ख) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, या

(ग) अपनी अधिकारिता के प्रयोग में अवैध रूप से तात्विक अनियमितता से कार्य किया है।

१२- विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्तागण एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर आक्षेपित आदेश पारित कर यह निष्कर्षित किया गया है कि वादी का वाद कारण शेष न रहने का कथन विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न है। जिसका निस्तारण उभयपक्षों का साक्ष्य पत्रावली पर आने के बाद ही किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। पुनरीक्षणकर्तागण के प्रार्थनापत्र में की गई प्रार्थना न्यायालय द्वारा निर्णय के स्तर पर विचार करके समुचित आदेश पारित किया जायेगा। तदनुसार पुनरीक्षणकर्तागण का प्रार्थनापत्र विचारण न्यायालय ने निस्तारित किया है। अभिवचनों में एवं अनुतोष में संशोधन करने का अधिकार पक्षकारों को होता है। अभिवचनों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर वादी द्वारा याचित अनुतोष यदि निष्प्रभावी हो जायेगा तो विचारण न्यायालय ने निर्णय के स्तर पर विचार करके समुचित आदेश पारित करने का उल्लेख आक्षेपित आदेश में किया गया है। वादी द्वारा याचित अनुतोष बाबत निलम्बन आदेश एवं बर्खास्तगी आदेश के सम्बन्ध में मुकदमा डिक्री हो जाता है तो वादी सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवा से सम्बन्धित लाभों का नियमानुसार पाने का हकदार होगा। सेवा की अधिकतम उम्र ६० वर्ष व्यतीत होने के सम्बन्ध में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जायेगा। विद्वान विचारण न्यायालय ने वेतन, भत्ता व अन्य हित लाभ हेतु वाद- बिन्दु भी विरचित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में पुनरीक्षणकर्तागण/ प्रतिवादीगण द्वारा वादी का वाद निष्प्रभावी होने के कारण खारिज किये जाने की गई याचना के सम्बन्ध में पुनरीक्षणकर्तागण का प्रार्थनापत्र निस्तारित करते हुये विद्वान विचारण न्यायालय ने स्पष्ट कारण दर्शित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निहित शक्तियों का विवेकपूर्वक प्रयोग किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में अभिवचनों एवं मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों में कोई वैधानिक व तात्विक त्रुटि नहीं पायी जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सुस्पष्ट मुखरित आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो किसी भी प्रकार से विकृत होना भी दर्शित नहीं होता है।

१३- उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय का तात्विष्यक तथ्य का ऐसा निष्कर्ष है जो पक्षकारों के अभिवचनों के प्रकाश एवं मामले के समस्त तथ्यों एवं

परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं कहा जा सकता है अन्यथा भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कल्पतरू बनाम एस०बी०आई०, ए०आई०आर० २००५ (एस०सी०) पृष्ठ ३४५८** में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त के अनुसार पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तथ्यों का पुनः विश्लेषण किया जाना विधिक रूप से अनुमन्य नहीं है। इसी क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मस्जिद कच्चा टेन्ट बनाम तुफैल मोहम्मद १९९१ (२) एस०सी०सी० सप्लीमेन्ट्री पृष्ठ- २७०** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धान्त का उल्लेख भी सुसंगत है, जिसके आधार पर मात्र इस आधार पर कि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दो सम्भावित निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष लिया जा सकता है। अवर न्यायालय द्वारा लिये गये दूसरे संभावित निष्कर्ष जो अन्यथा उचित है, उसे अपास्त किया जाना उचित नहीं होगा। इसी क्रम में **साउर्थन सेल्स एण्ड सर्विस एवं अन्य बनाम सौरमिच्च डिजायन एवं हैण्डलिस ए०आई०आर० २००५ (एस०सी०) ३२०** में यह निर्धारित किया गया है कि जहाँ अवर न्यायालय द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया हो और उसमें कोई त्रुटि या अनियमितता न हो तो ऐसे आदेश में निगरानी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

१४- उपर्युक्त विवेचन, पत्रावली के अवलोकन तथा तर्कों के सुनने के उपरान्त एवं माननीय न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यही निष्कर्षित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय स्वयं में निहित क्षेत्राधिकार का उचित प्रयोग किया गया है तथा आक्षेपित आदेश अविधिक नहीं है तथा इसमें कोई तात्विक अनियमितता भी दर्शित नहीं होती है। फलस्वरूप विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि सम्मत तथा उचित आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं पाया जाता है। अतः पुनरीक्षणकर्तागण/ प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क बलहीन है। इसके विपरीत प्रत्यर्थी/ वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों से मैं सहमत हूँ। फलस्वरूप प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण खारिज किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक **३१- ०८- २०२२** की पुष्टि की जाती है।

मुकदमा बहुत पुराना वर्ष २००२ का है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण मुकदमें के निस्तारण में अनावश्यक स्थगन लेकर विलम्ब न करें। पुनरीक्षणकर्तागण/ प्रतिवादीगण एवं प्रत्यर्थी/ वादी दिनांक १८- ०४- २०२३ को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मुकदमें की अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो।

वाद लिपिक विद्वान विचारण न्यायालय की तलविदा पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को अबिलम्ब वापस भिजवाना सुनिश्चित करें।

दिनांकः- १०- ०४- २०२३

(जयतेन्द्र कुमार)
अपर जिला जज, न्यायालय सं०- १,
झाँसी।

आज यह निर्णय व आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षर करके व दिनांक डाल कर सुनाया गया।

दिनांकः- १०- ०४- २०२३

(जयतेन्द्र कुमार)
अपर जिला जज, न्यायालय सं०- १,
झाँसी।

लक्ष्मी आशुलिपिक,